INDIAN POLITY

SAFALTA CLASS
An Initiative by अमर उजाला

What is the Preamble of the Indian Constitution?

The Preamble is called the introduction letter of the Indian Constitution. It was amended by the 42nd Constitutional Amendment Act in 1976, in which three new words socialist, secular and integrity were added. The Preamble secures justice, freedom, equality for all citizens of India and promotes brotherhood among the people.

भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है?

प्रस्तावना(Preamble), को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है. सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें संशोधन किया गया था जिसमें तीन नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था. प्रस्तावना, भारत के सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता को सुरक्षित करती है और लोगों के बीच भाई चारे को बढावा देती है.

The Preamble of the Indian Constitution is based on the 'objective resolution' introduced by Jawaharlal Nehru. The preamble was first included in the US Constitution, after which many countries have adopted it. Constitution expert Nani Palkiwala has called the Preamble of the Constitution as the identity card of the Constitution.	भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाये गये पेश किया गये 'उद्देश्य प्रस्ताव 'पर आधारित है. प्रस्तावना को सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में शामिल किया गया था, इसके बाद कई देशों ने इसे अपनाया है. संविधान विशेषज्ञ नानी पालकीवाला ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है.

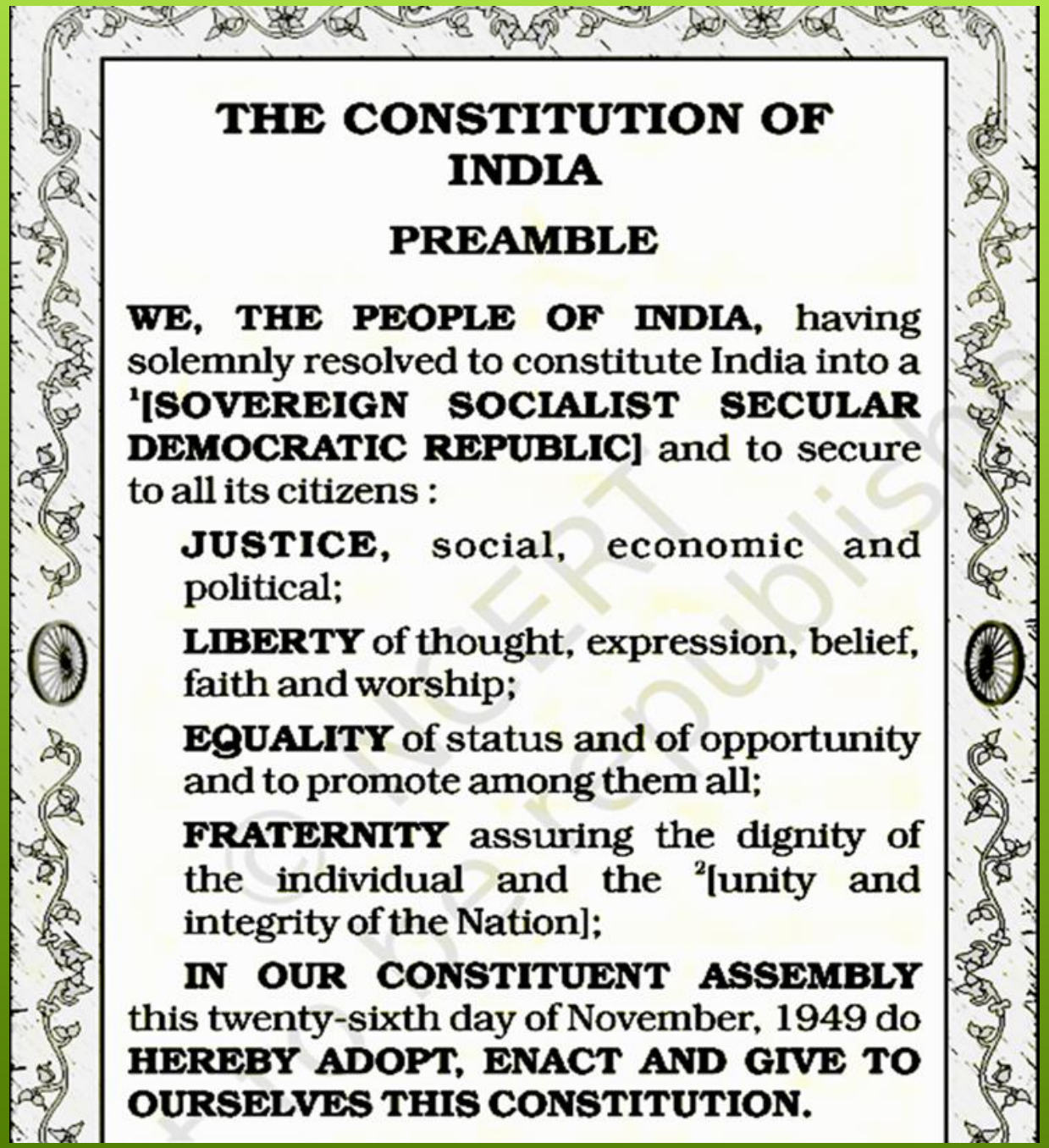

THE CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a [1][**SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC**] and to secure to all its citizens :

JUSTICE, social, economic and political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity and to promote among them all;

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the [2][unity and integrity of the Nation];

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949 do **HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.**

हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को :

न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक,

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता,

प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा,

उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करनेवाली बंधुता बढाने के लिए,

SAFALTA CLASS
An Initiative by अमर उजाला

The four components of the preamble are as follows:

1. This indicates that the source of the authority of the Constitution lies with the people of India.

दृढ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई0 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।“

प्रस्तावना के चार घटक इस प्रकार हैं:

1. यह इस बात की ओर इशारा करता है कि संविधान के अधिकार का स्रोत भारत के लोगों के साथ निहित है।

2. It declares that India is a socialist, secular, secular, democratic and republican nation.

3. It secures justice, freedom, equality for all citizens and promotes brotherhood to maintain the unity and integrity of the nation.

4. It mentions the date (26 November 1949) on which the Constitution was adopted.

The explanation of the original words of the preface is as follows:

2. यह इस बात की घोषणा करता है कि भारत एक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र राष्ट्र है।

3. यह सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता को सुरक्षित करता है तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए भाईचारे को बढ़ावा देता है।

4. इसमें उस तारीख (26 नवंबर 1949) का उल्लेख है जिस दिन संविधान को अपनाया गया था.

प्रस्तावना के मूल शब्दों की व्याख्या इस प्रकार है:

Socialist

The term 'socialist' was added to the preamble by the 42nd Amendment Act of 1976 of the Constitution. Socialism means that socialists achieve through democratic means. India has adopted 'democratic socialism'. Democratic socialism believes in a mixed economy where both private and public sectors travel shoulder to shoulder. Its goal is to end poverty, ignorance, disease and inequality of opportunity.

संप्रभुता (Sovereignty)

प्रस्तावना यह दावा करती है कि भारत एक संप्रभु देश है। सम्प्रुभता शब्द का अर्थ है कि भारत किसी भी विदेशी और आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त सम्प्रुभता सम्पन्न राष्ट्र है। भारत की विधायिका को संविधान द्वारा तय की गयी कुछ सीमाओं के विषय में देश में कानून बनाने का अधिकार है।

Republic

In a republic or republic, the head of state is directly or indirectly elected by the people. The President of India is elected indirectly by the people; Which means through its representatives in Parliament and State Legislatures. Furthermore, in a republic, political sovereignty is vested in the hands of the people rather than a king.

गणराज्य (Republic)

एक गणतंत्र अथवा गणराज्य में, राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लोगों द्वारा चुना जाता है। भारत के राष्ट्रपति को लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है; जिसका अर्थ संसद और राज्य विधानसभाओं में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से है। इसके अलावा, एक गणतंत्र में, राजनीतिक संप्रभुता एक राजा की बजाय लोगों के हाथों में निहित होती है।

SAFALTA CLASS
An Initiative by अमर उजाला

Secular

The word 'secular' was added to the preamble by the 42nd Amendment Act of 1976 of the Constitution. The word secular in the Indian Constitution means that all religions in India have the right to equality, protection and support from the states. Articles 25 to 28 of Part III of the Constitution ensure freedom of religion as a fundamental right.

धर्मनिरपेक्ष (Secular)

'धर्मनिरपेक्ष' शब्द संविधान के 1976 में हुए 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है कि भारत में सभी धर्मों को राज्यों से समानता, सुरक्षा और समर्थन पाने का अधिकार है। संविधान के भाग III के अनुच्छेद 25 से 28 एक मौलिक अधिकार के रूप में धर्म की स्वतंत्रता को सुनिश्चत करता है।

SAFALTA CLASS

Democratic

The word democratic means that the Constitution is established as a government which is elected and empowered by the people through elections. The preamble confirms that India is a democratic country, which means that the supreme power rests with the people. The term democracy is used as a prelude to political, economic and social democracy. Responsible representatives of the government, universal adult suffrage, one vote one value, independent judiciary etc. are the characteristics of Indian democracy.

लोकतांत्रिक (Democratic)

लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ है कि संविधान की स्थापना एक सरकार के रूप में होती है जिसे चुनाव के माध्यम से लोगों द्वारा निर्वाचित होकर अधिकार प्राप्त होते हैं। प्रस्तावना इस बात की पुष्टि करती हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जिसका अर्थ है कि सर्वोच्च सत्ता लोगों के हाथ में है। लोकतंत्र शब्द का प्रयोग राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र के लिए प्रस्तावना के रूप में प्रयोग किया जाता है। सरकार के जिम्मेदार प्रतिनिधि, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, एक वोट एक मूल्य, स्वतंत्र न्यायपालिका आदि भारतीय लोकतंत्र की विशेषताएं हैं।

Justice

The preamble encompasses the term justice in three distinct forms — social, economic and political, which have been achieved through various provisions of fundamental and directive principles of policy.
Social justice in the Preamble refers to the creation of a more equitable society by the Constitution on the basis of equal social status. Economic justice refers to the equal distribution of wealth among different members of society, so that wealth cannot be concentrated in a few hands. Political justice refers to the right of all citizens to equal political participation. The Indian Constitution provides universal adult suffrage and equal value for every vote.

न्याय (Justice)

प्रस्तावना में न्याय शब्द को तीन अलग-अलग रूपों में समाविष्ट किया गया है- सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, जिन्हें मौलिक और नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से हासिल किया गया है।
प्रस्तावना में सामाजिक न्याय का अर्थ संविधान द्वारा बराबर सामाजिक स्थिति के आधार पर एक अधिक न्यायसंगत समाज बनाने से है। आर्थिक न्याय का अर्थ समाज के अलग-अलग सदस्यों के बीच संपति के समान वितरण से है जिससे संपति कुछ हाथों में ही केंद्रित नहीं हो सके। राजनीतिक न्याय का अर्थ सभी नागरिकों को राजनीतिक भागीदारी में बराबरी के अधिकार से है। भारतीय संविधान प्रत्येक वोट के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और समान मूल्य प्रदान करता है।

SAFALTA CLASS

Liberty

Freedom means a person who is freed or freed from dictatorial slavery, torture, imprisonment, dictatorship etc. due to lack of compulsion or domination of activities.

Equality

Equality means abolition of privilege or discrimination against any section of societyssss

स्वतंत्रता (Liberty)

स्वतंत्रता का तात्पर्य एक व्यक्ति जो मजबूरी के अभाव या गतिविधियों के वर्चस्व के कारण तानाशाही गुलामी, चाकरी, कारावास, तानाशाही आदि से मुक्त या स्वतंत्र कराना है।

समानता (Equality)

समानता का अभिप्राय समाज के किसी भी वर्ग के खिलाफ विशेषाधिकार या भेदभाव को समाप्त कर

SAFALTA CLASS
An Initiative by अमर उजाला

Part 1: Union and its territories

Article -1. Name and territory of the Union - (1) India, that is, India shall be the Union of States.

(2) States and their territories shall be those specified in the First Schedule.

(3) In the territory of India,

(A) States territories,

2 [(b) the Union territory specified in the first schedule, and

(C) such other territories as may be acquired.

भाग 1: संघ और उसके क्षेत्र

अनुच्छेद-1. संघ का नाम और राज्यक्षेत्र--(1) भारत, अर्थात् इंडिया, राज्यों का संघ होगा।

(2) राज्य और उनके राज्यक्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।

(3) भारत के राज्यक्षेत्र में,

(क) राज्यों के राज्यक्षेत्र,

2[(ख) पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्यक्षेत्र, और

(ग) ऐसे अन्य राज्यक्षेत्र जो अर्जित किए जाएँ, समाविष्ट होंगे।

SAFALTA CLASS
An Initiative by अमर उजाला

Article -2. Entry or establishment of new states - Parliament may, by law, enter or establish new states in the Union on such terms and conditions as it thinks fit. 32 A. [Sikkim to be associated with the Union. - Repealed by section 5 of the Constitution (Thirty-sixth Amendment) Act, 1975 (wef 26-4-1975).	**अनुच्छेद-2.** नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना--संसद, विधि द्वारा, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। 32क. [सिक्किम का संघ के साथ सहयुक्त किया जाना। --संविधान (छत्तीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1975 की धारा 5 द्वारा (26-4-1975 से) निरसित।

SAFALTA CLASS

Article -4. This article specifies that the laws provided in article 2 and 3, admission/establishment of new states and alternation of names , areas and boundaries etc. of established states, are not to be considered amendments of the Constitution under article 368, which means these can be passed without resorting to any special procedure and by simple majority

अनुच्छेद-4. यह लेख निर्दिष्ट करता है कि अनुच्छेद 2 और 3 में प्रदान किए गए कानून, नए राज्यों के प्रवेश / स्थापना और स्थापित राज्यों के नाम, क्षेत्रों और सीमाओं आदि के विकल्प, को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के संशोधनों पर विचार नहीं किया जाना है, जिसका अर्थ है कि ये कर सकते हैं बिना किसी विशेष प्रक्रिया का सहारा लिए और साधारण बहुमत से पारित किया जाए

Article -3. Formation of new states and changes in areas, boundaries or names of existing states - Parliament, by law--
(A) create a new state by separating its territory from a state or by combining two or more states or parts of states or by combining a territory with a part of a state;
(B) increase the area of a state;
(C) reduce the area of a state;
(D) change the boundaries of a state;
(4) Can change the name of a state:

अनुच्छेद-3. नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन--संसद, विधि द्वारा--
(क) किसी राज्य में से उसका राज्यक्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्यक्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी;
(ख) किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी;
(ग) किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी;
(घ) किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी;
(ङ) किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी:

STATE REORGANISATION

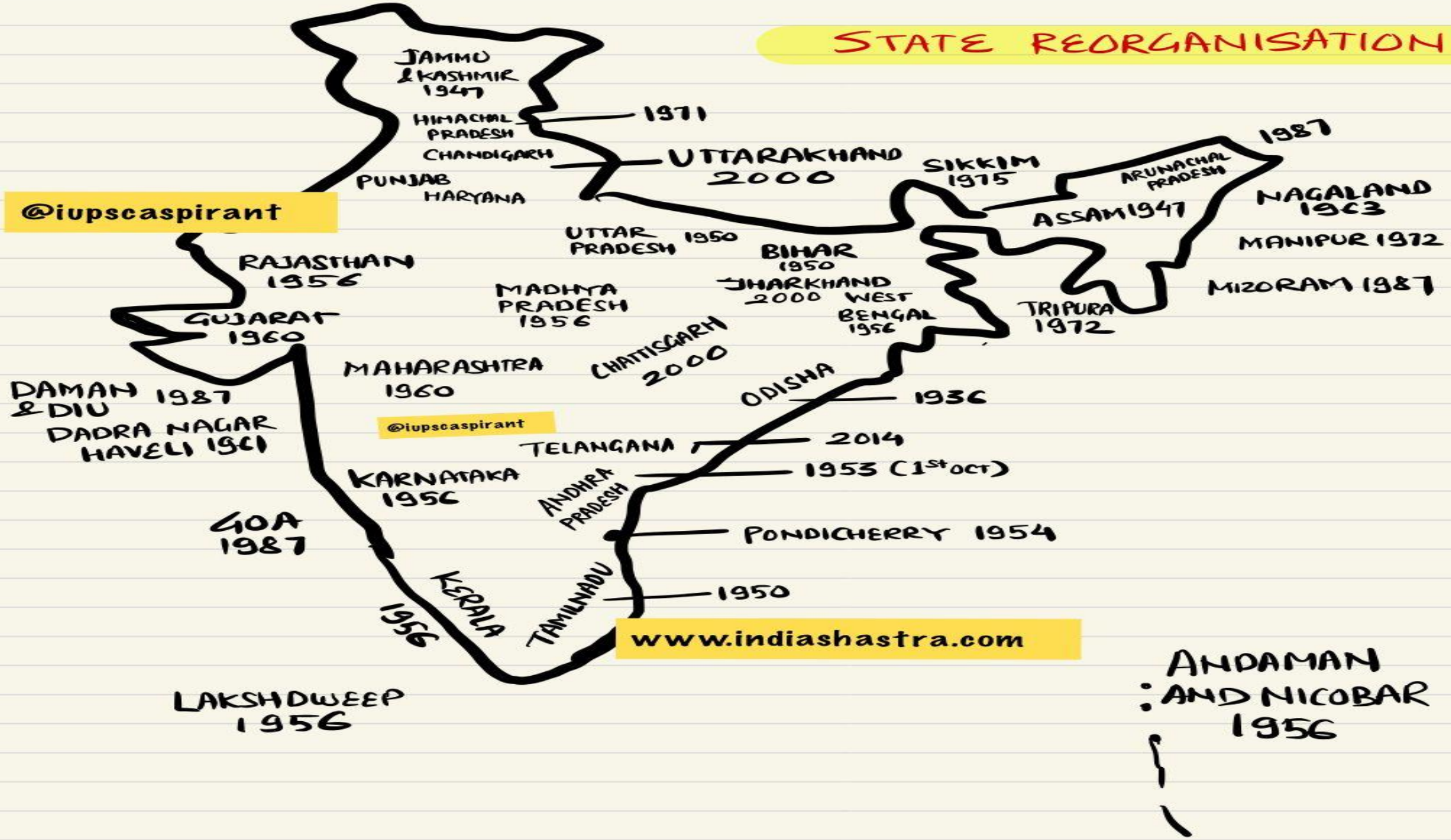

SAFALTA CLASS
An Initiative by अमर उजाला

Indian state reorganization commission At the time of independence, 549 princely states joined India; the remaining three princely states (Hyderabad, Junagadh and Jammu & Kashmir) refused to join India, but later they were merged with India in the following ways.	भारतीय राज्य पुनर्गठन आयोग स्वतंत्रता के समय, 549 रियासतें भारत में शामिल हुईं; शेष तीन रियासतों (हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू और कश्मीर) ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में उन्हें निम्नलिखित तरीकों से भारत में मिला दिया गया।

SAFALTA CLASS

Hyderabad (Hyderabad) – By military action
Junagadh – by referendum
Jammu Kashmir – By merger letter
In 1950 the Indian Constitution divided India into four classes.
Part – A — Where was governor's rule in British India.
Part – B — Imperial Government with the State Legislature.
Part – C — the rule of the Chief Commissioner of British India and some of the imperial rule. There were 10 states in which there was centralized rule.
Part – D — In this part only Andaman and Nicobar is kept.

हैदराबाद (हैदराबाद) - सैन्य कार्रवाई द्वारा
जूनागढ़ - जनमत संग्रह द्वारा
जम्मू कश्मीर - विलय पत्र द्वारा
1950 में भारतीय संविधान ने भारत को चार वर्गों में विभाजित किया।
भाग - ए - ब्रिटिश भारत में राज्यपाल का शासन कहाँ था
भाग - बी - राज्य विधानमंडल के साथ शाही सरकार।
भाग - सी - ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन और कुछ शाही शासन। 10 राज्य ऐसे थे जिनमें केंद्रीकृत शासन था।
भाग - डी - इस भाग में केवल अंडमान और निकोबार को रखा जाता है।

Dhar Commission Committee

After the independence of India, the demands of the restructuring of the states on the basis of language in the country began to rise. In June 1948, the linguistic commission was appointed by the Government of India under the chairmanship of S.K Dhar. The Commission presented its report in December 1948, in which it recommended that the reorganization of states should not be based on language but on the basis of administrative reform. This resulted in excessive dissatisfaction in the states and the Government of India formed the December 1948, Linguistic Provincial Committee / JVP Committee.

धर आयोग की समिति

भारत की स्वतंत्रता के बाद, देश में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी। जून 1948 में, एस.के. धर की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा भाषाई आयोग की नियुक्ति की गई थी। आयोग ने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें उसने सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा पर आधारित न होकर प्रशासनिक सुधार के आधार पर होना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप राज्यों में अत्यधिक असंतोष हुआ और भारत सरकार ने दिसंबर 1948, भाषाई प्रांतीय समिति / JVP समिति का गठन किया।

Linguistic provincial committee / JVP committee

A committee was formed in December 1948 under the chairmanship of Jawaharlal Nehru, Vallabh Bhai Patel and Pattabhisitaraiya, which is also known as JVP Committee. The committee submitted its report in April 1949 and it also recommended that the reorganization of states should not be based on language but on the basis of administrative reform.

भाषाई प्रांतीय समिति / JVP समिति

दिसंबर 1948 में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभिषटरैया की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसे जेवीपी समिति के रूप में भी जाना जाता है। समिति ने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और यह भी सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा पर आधारित न होकर प्रशासनिक सुधार के आधार पर होना चाहिए।

SAFALTA CLASS

But there was a long struggle against this and after 56 days of hunger strike, Congress leader Potti Sriramulu passed away, causing the movement to grow further. Therefore, forcing the Indian government to comply with the formation of language in October 1953, the first state was formed and Andhra Pradesh was formed by separating the Telugu-speaking state from Madras.	लेकिन इसके खिलाफ एक लंबा संघर्ष हुआ और 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद, कांग्रेस नेता पोटी श्रीरामुलु का निधन हो गया, जिससे आंदोलन और बढ़ गया। इसलिए, अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के निर्माण के लिए मजबूर करने के लिए, पहले राज्य का गठन किया गया और आंध्र प्रदेश का गठन तेलुगु भाषी राज्य को मद्रास से अलग करके किया गया।

Fazal Ali Commission

After the formation of Andhra Pradesh, the demand for the formation of new states on the basis of language in other states began to increase. Hence, in December 1953, the Government of India formed a three-member committee under the chairmanship of Fazal Ali, of which there were three members

फजल अली आयोग

आंध्र प्रदेश के गठन के बाद, अन्य राज्यों में भाषा के आधार पर नए राज्यों के गठन की मांग बढ़ने लगी। इसलिए, दिसंबर 1953 में, भारत सरकार ने फ़ज़ल अली की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया, जिसके तीन सदस्य थे -

SAFALTA CLASS
An Initiative by अमर उजाला

Fazal Ali (President) K.M Panikkar H N Kunjuru The Fazal Ali Commission submitted its report in 1955 and acknowledged that language should be made the main basis in the restructuring of states, but this committee rejected a state one language theory. Four important factors for state restructuring –	फ़ज़ल अली (अध्यक्ष) के एम पणिक्कर एच एन कुंजुरु फजल अली आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और स्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए, लेकिन इस समिति ने एक राज्य एक भाषा सिद्धांत को खारिज कर दिया। राज्य पुनर्गठन के चार महत्वपूर्ण कारक -

SAFALTA CLASS

Protection of India's integrity and security
Linguistic and cultural uniformity
Financial, Administrative and Economic Systems
Promotion of people's welfare scheme in all the states and and in the entire country
On the advice of Fazal Ali Commission, the State Reorganization Commission (1956) was established by the Government of India by the 7th Constitution Amendments Act, 1956.
As a result, 14 states and 6 union territories were formed on November 1, 1956

भारत की अखंडता और सुरक्षा का संरक्षण
भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता
वित्तीय, प्रशासनिक और आर्थिक प्रणाली
सभी राज्यों और पूरे देश में लोगों की कल्याणकारी योजना को बढ़ावा देना
फजल अली आयोग की सलाह पर, 7 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 के द्वारा भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग (1956) की स्थापना की गई।
इसके परिणामस्वरूप, 1 नवंबर, 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया।